## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

## पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail: eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No.: 01373-223730

पत्रांक-15 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सिं०ख० /

दिनांक 05 /01 / 2019

सेवामें.

प्रभागीय वनाधिकारी टौंस वन प्रभाग पुरोला उत्तरकाशी।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत नौगांव—पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग हेत् 11.6735 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/23445/2017)

सन्दर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र) फाईज संख्या 8बी/यू०सी०पी०/06/109/2018/एफ०सी०/1543 दिनांक 26.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/23445/2017 में लगायी गयी ई०डी०एस० क्वेरी में बिन्दु सं० ०६, ०८, १० एवं १४ पार्ट—II की है, जोकि आपके स्तर से निराकरण किया जाना है शेष अन्य बिन्दुओं में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है—

	आपत्ति	निराकरण
1.	Some other document uploaded in place of justification at para D (i) online Part I.	Online Part I. के पैरा D (i) में justification से संबंधित अमिलेख संशोधित कर uploaded कर दिये गये है एवं इस पत्र के माध्यम से भी संलग्न कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2.	C/B analysis is uploaded in old format.	C/B analysis के नये प्रपत्र Ministry guidelines dated 01-08- 2017 के अनुसार बनवा कर Online Part I. में uploaded कर एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
3.	VLC proceedings of village Naugaon and purola are not found uploaded.	ग्राम नौगांव व पुरोला इस मोटर मार्ग से लाभान्वित नहीं होते हैं। उक्त मोटर मार्ग से मात्र एक गांव थली है जो कि संयोजित/लाभान्वित होता है जिसकी VLC proceedings FRA प्रपत्र के साथ uploaded की गयी है। यह मोटर मार्ग नौगांव से पुरोला (राज्य मार्ग) के कि0मी0 2 से प्रारम्भ होता है एवं अन्तिम बिन्दु थली ग्राम तक समाप्त होता है। अतः वांछित नौगांव व पुरोला की VLC proceedings की आवश्यकता नहीं है।
4.	In geologist report mentioned at para 7 that 'construction of bridge is right' However the proposed is for road.	बिन्दु संख्या 4 के क्रम में सूचनीय है कि uploaded geologist report मुख्यतः उक्त मोटर मार्ग की ही है। जिसमें कि आख्या में बिन्दु संख्या 7 निष्कर्ष में किमी० 01 में पुल निर्माण का सुझाव भी वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है।
5.	Total quantity of muck to be disposed is 1, 13, 388/cum but muck disposal plan is not appropriate.	मलवा निस्तारण योजना के सम्पूर्ण प्रपत्र जैसे—प्लान, फोटो, माप विवरण आदि संशोधित कर DFO से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर Part I. में यथास्थान uploaded किये जा चुके हैं।
6.	Density mentioned in Part II is 0.7 and 0.2 but calculation sheet uploaded for 0.5 density.	यह आपत्ति Part II. से संबंधित अतः इसका निराकरण भी DFO स्तर से किया जाना है।
7.	Two CA scheme of different ha. Is found uploaded for same area. As per DSS, only one patch found uploaded for total area.	चूंकि इस मोटर मार्ग के समरेखण में दो वन प्रभागों की भूमि आ रही जिसके कारण दो CA योजना uploaded की गयी है। जिसके सापेक्ष प्रतिपूरक /क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली दो गुनी भूमि राजस्व द्वारा एक स्थान पर एक ही patch में चयन कर उपलब्ध करवाई गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है। (टौंस वन प्रभाग हेतु 4.185 हे0+अपर यमुना वन प्रभाग हेतु 19.162 हे0 = कुल 23.347 हे0 है। ली जाने वाली वन भूमि = 11.6735 हे0 है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली दोगुनी भूमि = 23.347 हे0 है।
8.	Working plan detail is not filled correctly. It is mentioned that working plan expired in 2015.	यह आपत्ति Part II. से संबंधित है। जिसका निराकरण भी DFO (टौंस वन प्रभाग पुरोला) स्तर से किया जाना है।

9. Following documents have not been found uploaded in web portal. a. Financial outlay. b. CA scheme. c. CA site suitability certificate.  10. At para 15 & 16 in Part II, no comment & recommendation are made by DFO.	सभी अभिलेख / प्रपत्र यथास्थान Online Part I.में uploaded किये जा चुके है।  यह आपत्ति Part II. से संबंधित है। अतः इसका निराकरण भी DFO स्तर से किया जाना है।
11. The following documents are required to be submitted in original:- a. Ownership proof details. b. Digital map of poroposed road. c. Digital map of CA area. d. Undertaking to bear CA cast	इस पत्र के माध्यम से संबंधित समस्त अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।
12. Out of total proposed area for diversion, 6.1650 ha falls in RF out of which 4.226 to is for muck disposal.	इस मोटर मार्ग का समरेखण अधिकाशतः वनभूमि से होकर गुजरता है जिसके कारण Muck Dumpig स्थल किसी अन्य क्षेत्र में Shift किया जाना सम्भव नहीं है तथा उक्त मोटर मार्ग का यह समरेखण लागत एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है एवं इस मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल भी पर्यावरण की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये चयन किये गये है। जिसमें कार्य समाप्ति के पश्चात इन स्थानों पर भी वृक्षारोपण आदि कार्य भी प्रस्तावित किये गये है। जिसकी विस्तृत योजना भी Online Part I. में uploaded कर इस पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
13. Geo- referenced points of muck dumping sites are required.	मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थलों के Geo- referenced points मोटर मार्ग के uploaded Alinment Geo- referenced मानचित्र पर भी दर्शाये गये है तथा इस पत्र के माध्यम से संलग्न कर उपलब्ध करवाये जा रहे है।
14. Site inspection report of tons forst division is not correctly filled/incomplete and lacks any recommendation also.	यह आपत्ति Part II. से संबंधित है। अतः इसका निराकरण भी DFO स्तर से किया जाना है।
15. Original hard copy of FRA certificate is not submitted.	FRA की हार्ड प्रति के माध्यम से उपलब्ध करवाये जा रही है।
16. Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO.	Online Part I. के पैरा D (i) में justification से संबंधित अभिलेख संशोधित कर uploaded कर दिये गये है एवं इस पत्र के माध्यम से भी संलग्न कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
17. Aerial distance from nearest PA is shwn as 40 km. Since ESZ of Bhagirathi NP is 100 km.	यह मोटर मार्ग Bhagirathi NP के ESZ के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही किसी अन्य Wild Life क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः CWLW की आख्या की आवश्यकता नहीं है।
18. Reclamation plan of muck dumping is not submitted.	इस पत्र के माध्यम से muck dumping का Reclamation Plan Online uploaded कर दिया गया है एवं एक प्रति इस पत्र के माध्यम से संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है एवं आपसे अनुरोध है कि Part-II में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अपने स्तर से करते हुये उक्त प्रस्ताव को जनहित में अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, सिं०ख० पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक /पी०एम०जी०एस०वाई० / सिं०ख० / पुरोला / तिदनांक प्रतिलिपि— तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून—248001 को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।